25

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

संख्या- वन्य-प्राणी 2/2003-759(अ)/प०व० पटना 15, दि० 12-11-2003.

वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53 वाँ) यथा संशोधित 2002 की धारा- 6 के अंतर्गत बिहार राज्य वन्य-प्राणी पर्षद का गठन निम्न रूप से किया जाता है :-

1-	मुख्य-मंत्री, बिहार -	अध्यक्ष
2-	मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार -	उपाध्यक्ष
3-	राज्य विधान मंडल के तीन सदस्य -	सदस्य
4-	राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों से - मनोनीत तीन व्यक्ति जो वन्य-प्राणी मामलों से सम्बन्धित हों -	सदस्य
5-	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 10 व्यक्ति - जो प्रसिद्ध संरक्षणविद पारिस्थितिकीय-विद एवं पर्यावरण-विद हों । इनमें से कम-से-कम दो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हों-	सदस्य
6-	आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन - विभाग, बिहार	सदस्य-
7-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना -	सदस्य
8-	आयुक्त एवं सचिव/सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना -	सदस्य
9-	प्रबंध-निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, - पटना	सदस्य
10-	आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना-	सदस्य
11-	केन्द्र सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं से मनोनीत - एक प्रतिनिधि जो ब्रिगेडियर से कम श्रेणी के नहीं हो -	सदस्य
12-	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना -	सदस्य
13-	निदेशक, मत्स्य पालन, बिहार, पटना -	सदस्य
14-	निदेशक, वन्य-प्राणी संरक्षण द्वारा मनोनीत - पदाधिकारी	सदस्य

15- भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून के प्रतिनिधि - सदस्य

16- बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि - सदस्य

17- जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि - सदस्य

18- मुख्य वन्य-प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना - सदस्य-सचिव

2- पर्यावरण एवं वन विभाग के संकल्प संख्या वन्य-प्राणी 13/99-364 ई. दिनांक 3-8-2001 को अवक्रमित किया जाता है ।

3- पर्षद की बैठक वर्ष में दो बार होगी । बैठक हेतु तिथि एवं स्थान का निर्धारण, सदस्य-सचिव, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर करेंगे ।

4- पर्षद राज्य सरकार को निम्नांकित बिन्दुओं पर परामर्श देगी -

(क) बिहार राज्य में अभ्यारण्य, आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान, सुरक्षित घोषित करने तथा क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

(ख) वन्य-जीवों तथा विशिष्ट वनस्पति की सुरक्षा एवं संरक्षण सम्बन्धी के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

(ग) वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत किसी अनुसूची से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में ।

(घ) अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वन-वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वन्य-जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में सामंजस्य-पूर्ण कार्य के निर्णय के सम्बन्ध में ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पर्षद को सौंपे गये कोई अन्य कार्य, जो वन्य-प्राणी-संरक्षण से सम्बन्धित हो ।

5- पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया तीन वर्षों का होगा ।

6- पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता आदि, निम्न देय होगा :-

(क) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य के प्रथम श्रेणी के को अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा ।

(ख) पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता, पर्षद के सदस्य-सह-मुख्य-वन्य-प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा प्रति...

... ...अधिसूचना, ...
किया जायेगा ।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, राँची/पटना ... सभी सदस्यों को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/11/03

(एस० एस० वर्मा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक वन्य-प्राणी 2/2003- 759(3)/प०व० पटना 15, दि० 12 -11-20...

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी पाँच सौ प्रतियाँ, इस विभाग को प्रेषित की जाये ।

...11/03

(एस० एस० वर्मा)

सरकार के सचिव ।

अशोक

ज्ञापांक वन्य-प्राणी 2/2003- 759(3)/प०व० पटना 15, दि० 12 -11-2003.

प्रतिलिपि- सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी० जी० ओ० कम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली/निदेशक, वन्य-प्राणी संरक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी० जी० ओ० कम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वन्य-प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/मुजफ्फरपुर/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस० एस० वर्मा)

सरकार के सचिव ।